

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1.	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि. मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	प्रस्ताव चेक लिस्ट संख्या 5 में संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	8916.75 लाख
(iv)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	SECL दीपका एवं गेवरा की प्रमुख खदानों से कोयला रेल्वे डंपिंग यार्ड, कोल वाशरी एवं क्षेत्र में संचालित ताप विद्युत गृह तक कोयला परिवहन हेतु पूर्व निर्मित सड़क में यातायात का अत्यधिक दबाव होने के कारण लगातार दुर्घटना हो रही है, कोयला परिवहन हेतु आवासीय क्षेत्र से पृथक प्रस्तावित बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	लागत लाभ विश्लेषण 8916.75 लाख है। विवरण प्रस्ताव चेक लिस्ट संख्या 3 में संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लगभग 550000 श्रम दिवस होने की संभावना है।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	आरक्षित वन- निरंक संरक्षित वन-निरंक नारंगी वन-15.40 राजस्व वनभूमि- कुल अपेक्षित वनभूमि- 15.40 हे.
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	निरंक।
(i)	परिवार की संख्या।	निरंक।
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक।
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	वचनबद्ध पत्र चेक लिस्ट संख्या 9 संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों का/उत्तरदायित्व की ब्यौरा।	प्रस्ताव चेक लिस्ट अनुसार संलग्न है।

E.E./Member Secretary,
Project Implementation Unit-I
C.G.R.R.D.A., KORBA

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	हरदीवाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु 15.40 हे. वनभूमि अपेक्षित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरवा
(iii)	वन प्रभाग	कटघोरा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन	15.40 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	नारंगी वन 15.40 हे. — हे. कुल 15.40 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।	1523 वृक्ष उपलब्ध है। जिसका विवरण संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रस्तावित परियोजना हरदीवाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु है। संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि भू-क्षरण नगण्य है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	0 कि.मी.
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि	नहीं है।

	हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	अपरिहार्य और न्यूनतम है । जांचे गये विकल्पों के विवरण संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	उल्लंघन नहीं हुआ है ।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	संलग्न है ।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है ।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है ।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	1,41,78,912/-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, तत्संबंधित प्रमाण पत्र उप वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर छायाचित्र सहित संलग्न है ।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)	क्षेत्र में वनस्पति और वन्यप्राणी की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां कोई नहीं पाई जाती है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। व्यपवर्तन हेतु मांगी गयी भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है ।

		जांचे गये विकल्पो के विवरण पूर्व में बिन्दु क्रमांक - 08 में संलग्न है, तथा इस क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है ।
12.	विभाग / जिला प्रोफाईल	कटघोरा वनमण्डल, कोरबा जिला
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7145.44 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	4187.375 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	31 प्रकरण 3774.223 हे.
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	निरंक निरंक
(v)	2019-20 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	1434.248 हे. निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुरांसा की जाती है।

दिनांक : 23.07.2020
स्थान : राबिवा, रेवे

वनमंडल अधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

भाग III

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

14.	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15.	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

दिनांक

:

.....

स्थान

:

.....

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	
-----	---	--

दिनांक

:

स्थान

: